23-9-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मीटिंग में राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 30-9-22 को पेश हों।
30-9-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 7-10-22 को पेश हों।
7-10-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अवकाश पर है ~~राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है~~। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 14-10-22 को पेश हों।
14-10-22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा स्वयं की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि से रास्ता चाहा गया है प्रार्थी की कृषि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने एवं संयुक्त खातेदारी का विभाजन न ~~करना~~ कराने पश्चात ही रास्ते का अनुतोष दिया जा सकता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विभाजन के अभाव में खारिज किया जाता है पत्रावली कैसल हुई नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बूंदी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

62 / दावा / 2018
दायरा दिनांक 15.10.2018

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. रामचरण आत्मज प्रभूलाल जाति रेबारी निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. हरिराम आत्मज भैरूनाथ जाति नाथ निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. मोजीराम आत्मज भैरूनाथ जाति नाथ निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. नन्दकिशोर आत्मज शंकर जाति नाथ निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. बाबूलाल आत्मज शंकर जाति नाथ निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
5. पप्पूलाल आत्मज शंकर जाति नाथ निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
6. सीताबाई पत्नि शंकर जाति नाथ निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
7. रामकेश आत्मज प्रभूलाल जाति मीना निवासी झीडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
8. हरकेश आत्मज प्रभूलाल जाति मीना निवासी झीडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
9. राममूर्ति पुत्री प्रभूलाल जाति मीना निवासी झीडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

10.रामप्यारी पुत्री प्रभूलाल जाति मीना निवासी झीडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

11.रामकरन्ता पुत्री प्रभूलाल जाति मीना नाबा0 सभी जरिये वली माता कस्तूरीबाई पत्नि स्व0 प्रभूलाल निवासी झीडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

12.कस्तूरी पत्नि स्व0 प्रभूलाल जाति मीना निवासी झीडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

13.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251 क आर0टी0एक्ट

उपस्थित :— 1.श्री किशनलाल जैन एडवोकेट(प्रार्थी)।
2.श्री धीरज जैन एडवोकेट(प्रार्थी)।

—: निर्णय :— **दिनांक :— 14.10.2022**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 क मे पेश कर कथन किया कि खा0सं0 192 पुरानी 8 की ख0सं0 61 रकबा 1.29 हैक्ट0,ख0सं0 661 रकबा 1.64 हैक्ट0 ,ख0सं0 662 रकबा 1.57 हैक्ट0 ख0सं0 685 रकबा 1.62 हैक्ट0 कुल किता 4 कुल रकबा 6.12 हैक्ट0 वाके ग्राम श्योदानपुरा पटवार मण्डल मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 में अकिंत है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।उपरोक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 3 लगायत 6 का 1/4 हिस्सा दर्ज है।प्रार्थी द्वारा उपरोक्त कृषिभूमि में अपना 1/4 हिस्सा पूर्व खातेदार से खरीद किया गया था खरीद के समय विक्रेता द्वारा ख0स0 662 रकबा 1.57 हैक्ट0 पर प्रार्थी को संभलाया गया।खरीद वक्त से ही प्रार्थी क्रयशुदा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।खरीदशुदा भूमि ख0स0 662 रकबा 1.57 हैक्ट0 कृषि भूमि पर आने जाने के लिये आम रास्ते से होकर सिवायचक खसरा सं0

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

690 से होकर प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि ख0सं0 685 तथा अप्रार्थी सं0 7 लगायत 12 की सहखातेदारी भूमि की ख0 सं0 684 की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे की तथा प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि ख0सं0 661 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि ख0सं0 662 में आता जाता है एवं इसी रास्ते से कृषि उपकरण लाता और ले जाता रहा है अप्रार्थीगण 1 लगायत 12 उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकी देते है यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया तो प्रार्थी फसल काश्त नही कर पायेगा प्रार्थी को आर्थिक हानि होगी अतः पूर्व से चले आ रहे उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।अप्रार्थीगण बावजूद तामिल नोटिस हाजिर नही आने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।अप्रार्थी सं0 13 भूमिधारी तहसीलदार से मौके एवं रिर्कोड की रिर्पोट ली गयी मुताबिक रिर्पोट के प्रार्थी द्वारा ख0सं0 690 ख0सं0 685 व ख0सं0 684 ,ख0सं0 661 से रास्ता चाहा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिर्कोड दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा ख0सं0 685,661,684 से रास्ता चाहा गया है जबकि ख0सं0 685,661,662 प्रार्थी की सयुंक्त खातेदारी में 1/4 हिस्सा का सयुंक्त खातेदार दर्ज रिर्कोड है।ख0सं0 685 सिवायचक व गै0मु0 रास्ते से लगवा है प्रार्थी द्वारा अपनी स्वयं की सहखातेदारी कृषि भूमि में रास्ता चाही गया है प्रार्थी सयुंक्त खातेदारी में दर्ज होने से अपने हिस्से 1/4 का विभाजन करावे।राजस्व बंटवारा नियम के तहत सयुक्त खातेदारी का विभाजन किये जाने पर प्रत्येक संयुक्त खातेदार को रास्ता दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है।तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट में खसरा सं0 684 जो अन्य की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है किस रास्ते से आते जाते है यह भी स्पष्ट नही किया गया है।अतः प्रार्थी अपनी संयुक्त खातेदारी का विभाजन कराने पश्चात ही रास्ता बाबत अनुतोष प्राप्त कर

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

...कता है अतःप्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)